

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/07-(तीन)/2017/ 2085

दिनांक : 26-7-17

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री के०एन० सिंह महिला महाविद्यालय,
नगर क्षेत्र, जीयनपुर,
आजमगढ़।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक- 29.05.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ताओं के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट/पी०एच-डी० सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोजता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/ अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	डॉ० कुशल कुमार	श्री जगवीर सिंह	06.06.1975	एम०एस०सी०, पी-एच०डी०	भौतिक विज्ञान
2	डॉ० वासु मित्र	श्री हुब्बलाल शर्मा	01.07.1975	एम०एस०सी०, पी-एच०डी०	रसायन विज्ञान
3	डॉ० गोपाल राठौर	श्री हीरालाल राठौर	01.08.1985	एम०एस०सी०, पी-एच०डी०	रसायन विज्ञान
4	डॉ० कोमल कपूर	श्री सुनील कपूर	26.11.1979	एम०एस०सी०, पी-एच०डी०	वनस्पति विज्ञान
5	डॉ० सुरेश चन्द्र यादव	श्री रामाश्रय यादव	01.07.1975	एम०एस०सी०, पी-एच०डी०	वनस्पति विज्ञान
6	डॉ० अजय कुमार सिंह	श्री भगवती प्रसाद सिंह	20.03.1982	एम०एस०सी०, पी-एच०डी०	गणित
7	डॉ० रामाश्रय राजपूत	श्री नेक राम	12.03.1982	एम०एस०सी०, नेट	गणित
8	डॉ० कन्हैया सिंह	श्री विक्रमादित्य सिंह	15.08.1974	एम०एस०सी०, पी-एच०डी०	प्राणि विज्ञान
9	डॉ० मानवीर सिंह	श्री चरन सिंह	01.07.1974	एम०एस०सी०, नेट	प्राणि विज्ञान

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्डीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन/विस्तरण, नेट प्रमाणपत्र/पी-एच.डी. प्रमाण पत्र सत्यापन के अधीन एवं कक्षा संचालन के अन्तर्गत किया जाता है।

भवदीय,

कुलसचिव